न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:—कानाराम, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 84/2024 विविध (धारा 235 आरटीएक्ट)

1. रामगिर पुत्र श्री देवगिर जाति गुसांई निवासी पूरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. संजय अग्रवाल, सहायक कलक्टर एवं उपखण्डधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. नेमीचन्द पुत्र मोतीराम जाति नाई निवासी पल्लु तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ़।
3. सहीराम पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ़।
4. हनुमान पुत्र मामराज जाति सुथार निवासी पूरबसर तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ़।
5. बीरबल पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ़।
6. मालाराम पुत्र गोपाल राम जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
7. इन्द पुत्र मोतीराम जाति नाई निवासी राजलदेसर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू।
8. सुमेर पुत्र मोतीराम जाति नाई निवासी राजलदेसर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू।
9. सुमन पुत्री मोतीराम जाति नाई निवासी राजलदेसर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू।

——अप्रार्थीगण

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरूद्ध सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधि., रावतसर प्रकरण सख्या 15/2018 अनवानी प्रकरण नेमीचन्द बनाम रामगिर आदि।

उपस्थित 1. आशीष भिड़ासरा एडवोकट प्रार्थीगण।
2. श्री देवीलाल भांभु एडवोकेट अप्रार्थी संख्या—2।
3. श्री शिवराज सिंह बराड़ राज. अधिवक्ता स्टेट की ओर से।

निर्णय दिनांक:—10.07.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्डधिकारी रावतसर के यहां रोही मौजा पूरबसर के खसरा संख्या 309/3 की 3.7940 हैक्टर भूमि बावत एक वाद अनवानी नेमीचन्द बनाम रामगिर आदि वाद संख्या 103/2018 अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अरथाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र नेमीचन्द बनाम रामगिर आदि प्रकरण संख्या 15/2018 दिनांक 06.03.2018 को प्रस्तुत किया व दिनांक 06.03.2018 को ही न्यायालय सहायक कलक्टर रावतसर द्वारा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 के विरूद्ध आगामी पेशी तक अरथाई निषिधाज्ञा जारी की जब तक अप्रार्थीगण जबाव पेश नही कर देते तब तक अप्रार्थीगण स्वयं अपने व्यक्तियों द्वारा पूरबसर के खसरा नं 309/3 की 3.7940 हैक्टर बरानी भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने तथा उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न करने एवं उक्त भूमि पर कब्जा कर मकानो का निर्माण न करे अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया दिनांक 06.03.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से दो दिन पूर्व अपनी खातेदारी कृषि भूमि सभालने हेतु पूरबसर में आया तो प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 वादी की खातेदारी भूमि के पास खड़े थे तथा खेत बाड उखाड़ कर निर्माण करने हेतु नीवं आदि खुदाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हे रोका तो वे इन्कार हो गये। न्यायालय सहायक कलक्टर रावतसर में दिनांक 06.03.2018 को अरथाई निषिधाज्ञा जारी कर दी नकल फर्द अहकाम दिनांक 06.06.2018 संलग्न प्रार्थना पत्र की। वादी अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 के

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

विरूद्ध यह अस्थाई निषेधाज्ञा चाही कि वे वादी को भूमि से बेदखल न करे व भूमि में कोई निर्माण कार्य न करे। अप्रार्थी संख्या 2 नेमीचन्द द्वारा विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिनांक 06.03.2018 को प्रस्तुत किया गया था व दिनांक 22.03.2024 तक 6 वर्ष से अधिक समय तक प्रतिवादीगण की तलबी हेतु लम्बित चलता रहा है व दिनांक 22.03.2024 को प्रार्थीगण उपस्थित आये व अपना वकील मुकर्रर कर जबाव हेतु अवसर चाहा जिस पर प्रार्थना पत्र में आगामी दिनांक 15.04.2024 मुकर्रर की व दिनांक 15.04.2024 को प्रार्थीगण को जबाव हेतु अंतिम अवसर दिया आगामी दिनांक 22.04.2024 को प्रार्थीगण को आवश्यक रूप से जबाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया। नकल फर्द अहकाम दिनांक 06.03.2018 से दिनांक 22.04.2024 संलग्न प्रार्थना पत्र की। तारीख पेशी दिनांक 22.04.2024 को जब प्रार्थीगण तारीख पेशी पर आये हुऐ थे तो अप्रार्थी संख्या 2 कुछ व्यक्तियो के साथ न्यायालय परिसर के आगे ही बैठा था तब उसने प्रार्थीगण को यह स्पष्ट धमकी दी कि आप कुछ भी कर लो मै आपका जबाव बन्द करवा कर वाद डिग्री करवाऊगा एवं आपको भुखण्डो से बेदखल करूगा। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 से मेरी बात हो गई है व अप्रार्थी संख्या 1 मेरे कहे अनुसार ही फैसला करेगा। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर गत 6 वर्षो से कोई कार्यवाही नही हुई परन्तु दिनांक 19.04.2024 के पश्चात लगातार 2–2 दिन की तारीख पेशी देकर प्रकरण गलत रूप से निरतारण करवाने पर उतारू है। इसलिए प्रार्थीगण न्यायालय सहायक कलक्टर रावतसर में लम्बित प्रार्थना पत्र नेमीचन्द बनाम रामगिर आदि प्रकरण संख्या 15/2018 को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर रावतसर में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नेमीचन्द बनाम रामगिर प्रार्थना पत्र संख्या 15/2018 को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे जिससे वाद का सही निस्तारण हो सके व प्रार्थीयान को न्याय मिल सके।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी रावतसर से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जरिये वकील जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र की धारा 1 व 2 को स्वीकार किया तथा धारा 3 ता 9 को अस्वीकार कर कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 नेमीचन्द अनपढ़ एवं गरीब व्यक्ति है जो मजदूरी एवं खेती करके अपने परिवार का गुजरबसर कर रहा है। प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप कतई निराधार है अप्रार्थी संख्या 2 का किसी बदमाश व्यक्ति या राजनेता से कोई सम्पर्क एवं सरोकार नही है। प्रार्थीगण निराधार रूप से प्रार्थना पत्र पेश कर मामला लम्बा करने तथा अप्रार्थी संख्या 2 को न्याय से वंचित करने के उदेश्य से उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण करवाना चाहता है। ताकि अप्रार्थी संख्या 2 को न्याय से वंचित किया जा सके तथा प्रार्थीगण बतौर अतिक्रमी अपने अतिक्रमण को पुख्ता करते रहे। फोटो प्रति पटवारी रिपोर्ट दिनांक 11.03.2024 से साबित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण असत्य, विधि विरूद्ध एवं संधारण योग्य नही होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण गरीब व्यक्ति है अप्रार्थी संख्या 2 राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है व भु–माफिया है अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 के अनुचित दबाव व प्रभाव में है। इस कारण उक्त पत्रावली में पीठासीन अधिकारी द्वारा जबाव दावा हेतु छोटी–छोटी तारीख पेशी नियत की है व अप्रार्थी संख्या 2 ने सरेआम प्रार्थीगण को कहा कि वो आपका जबाव बन्द करवा के जल्द ही प्रकरण का फैसला अपने पक्ष में करवायेगा। जिससे स्पष्ट जाहिर है कि अप्रार्थी संख्या 1 सहायक कलक्टर रावतसर के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में आकर उक्त प्रकरण का फैसला प्रार्थीगण के खिलाफ करेगे। प्रार्थीगण इन परिस्थितियों में अधिनस्थ न्यायालय के पीठासनी अधिकारी से निर्णय नही करवाना चाहते है। प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासनी अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही है। इसलिए विचारण न्यायालय में लम्बित

जिला कलेक्टर
हनुमानगढ़

प्रार्थना पत्र किसी अन्यत्र न्यायालय में निस्तारण हेतु अन्तरित किये जाने के आदेश फरमावे जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 किसी प्रकार का राजनैतिक व्यक्ति नहीं है ना ही उनका अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी पर कोई प्रभाव है ना ही पीठारीन अधिकारी से अप्रार्थी संख्या 2 की कभी कोई बात हुई है। अप्रार्थी संख्या 2 निहायत गरीब एवं वरिष्ठ नागरिक है जिसको प्रार्थीगण द्वारा इस मामला को बार बार न्यायालयो में लेजाया जाकर हैरान व परेशान किया जा रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 2 को खर्चा से जेरकार किया जाकर इस मामला को प्रार्थीगण लम्बा करना चाहते है तथा अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी कृषि भूमि पर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर दौराने दावा व स्थगन निर्माण कार्य करने पर आमादा है। इसलिए वे महज प्रकरण को लम्बा करना चहाते है व सुनवाई नही होने देना चाहते है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस न्याय दृष्टांत RRT 2023 (1) 479 का प्रस्तुत किया गया है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय पर जो आक्षेप अंकित किये है वे झूठे व निराधार है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 पर जो आरोप लगाये गये है, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर की टिप्पणी के अनुसार सब असत्य एवं मिथ्या है। प्रार्थीगण ने प्रश्नगत विचाराधीन प्रकरण में देरी करने के उदेश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। फिर भी प्रश्नगत प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो इसमें कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व न्याय दृष्टांत का सम्मान अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज. काश्तकारी अधि. के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर के समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र नेमीचन्द बनाम रामगिर आदि प्रार्थना पत्र संख्या 15/2018 को अन्यत्र न्यायालय में स्थनान्तरण करवाने के सम्बन्ध में है। पत्रावली पर उपलब्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर की टिप्पणी के अवलोकन अनुसार उनके ऊपर प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप सब असत्य एवं मिथ्या है। उक्त पत्रावली प्रार्थना पत्र नेमीचन्द बनाम रामगिर आदि प्रार्थना पत्र संख्या 15/2018 में प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित आ चुके है तथा दिनांक 26.04.2024 को जबाव हेतु समय दिया गया है। प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या–2 के प्रभाव में आकर पत्रावली में छोटी–छोटी तारीख पेशी दे रहे है तथा प्रार्थीगण के कथना अनुसार पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 के अनुचित दबाव व प्रभाव में है इसलिए पीठासीन अधिकारी द्वारा जवाव हेतु छोटी तारीख पेशी नियत की है तथा उक्त प्रकरण का निर्णय अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में करेगें। प्रार्थीगण इन परिस्थतियों में अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से निर्णय नही करवाना चाहते है। प्रार्थीगण के उक्त कथन उचित प्रतीत नही होते है। प्रार्थीगण द्वारा वाद पत्र में सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी रावतसर के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में वर्तमान पीठासीन अधिकारी व अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध आक्षेप अंकित किये गये है वे निराधार व मनगढ़त है, प्रार्थीगण द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण में देरी करने के उदेश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 2 वृद्ध गरीब व्यक्ति है प्रकरण अगर अन्य न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तो वहॉ आकर पैरवी करने में असुविधा होगी एवं अनावश्यक खर्च बढेगा ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मनगढ़त सावित होते है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 15/2018 को मुन्तकिल करवाने का उदेश्य न्यायसंगत प्रतीत नही होता है इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर को निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

समुचित कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। आदेश की प्रति सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 10.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़